छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 97 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02232**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''सीमांचल नगर'', प्रमोटर–बिनाका डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री प्रियरंजन दास, पता–बिनाका बिल्डिंग, प्रथम तल, मेडिकल कॉलेज रोड, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''सीमांचल नगर'' पता–हटकचोरा, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
19/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''सीमांचल नगर'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA290618000397** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 29.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 31.03.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 28.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 15.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि उपरोक्त परियोजना का विकास कार्य 31.03.2019 की समाप्ति तिथि से पूर्व ही पूरा हो चुका है और संबंधित प्राधिकारी को दिनाँक 06.02.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद अभी तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 97 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02232**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''सीमांचल नगर'', प्रमोटर–बिनाका डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री प्रियरंजन दास, पता–बिनाका बिल्डिंग, प्रथम तल, मेडिकल कॉलेज रोड, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''सीमांचल नगर'' पता–हटकचोरा, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार जून, 2020 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अनावेदक द्वारा अपने जवाब में सक्षम प्राधिकारी को दिनाँक 06.02.2019 एवं 24.04.2023 को प्रोजेक्ट की कार्य पूर्णता के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत पुनरावृत्ति नहीं करने के चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य	